जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–173/2026

मदनपुर थाना काण्ड संख्या–67/2021

10.02.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त नितिश कुमार की ओर से दिनांक–09.022.2025 को दाखिल किया गया है, जो दिनांक–06.02.2026 से कारा में निरोधित है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए। सूचक अनुपस्थित है।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदक का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–06.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक को थाना द्वारा धारा 41(1) दं0प्र0सं0 का नोटिस का तामिला कराया गया है। अतः आवेदक/अभियुक्त को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, मदनपुर थाना काण्ड संख्या–67/2021 में इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(r)(s),3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है, से संबंधित है। नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद के कारण उपरोक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्त के द्वारा इस वाद के सूचिका को जाति सूचक गाली देते हुए लाठी से मारपीट किया गया है, का आरोप है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त अनुसंधान के क्रम में पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए है लेकिन पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया गया है। अभियुक्त का अपराधिक इतिहास नहीं है तथा संज्ञान के उपरांत उसकी प्रथम उपस्थिति है। वह दिनांक–06.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सूचिका को विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है, परन्तु वह जमानत आवेदन के सुनवाई के दौरान न तो वह स्वयं तथा न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतएव उपरोक्त अभियुक्त नितिश कुमार को मो0–10000X2 (दस हजार) रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के एक प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णतः सहयोग करेगा एवं प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद (बिहार)।